1950 ई0 का उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम[1]

[उत्तर प्रदेश ऐक्ट सं0 19, 1950]

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 4, 1967
उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1970
उ0 प्र0 अधिनियम सं0 3, 1972
उ0 प्र0 अधिनियम सं0 4, 1973
उ0 प्र0 अधिनियम सं0 03, 1974
उ0 प्र0 अधिनियम सं0 38, 1976
उ0 प्र0 अधिनियम सं0 18, 1980
उ0 प्र0 अधिनियम सं0 23, 1982
उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 1985
उ0 प्र0 अधिनियम सं0 24, 1989
उ0 प्र0 अधिनियम सं0 13, 1990
उ0 प्र0 अधिनियम सं0 13, 1995
उ0 प्र0 अधिनियम सं0 15, 2020

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेशीय विधान सभा ने दिनांक 21 अप्रैल, 1950 ई0 तथा उत्तर प्रदेशीय विधान परिषद् ने दिनांक 26 अप्रैल, 1950 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 1 मई, 1950 ई0 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 2 मई, 1950 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश राज्य के लिये आकस्मिकता निधि की स्थापना की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 (2) द्वारा राज्यों के विधान मण्डलों को अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी अधिकार दिया गया है कि वे अपने–अपने राज्य के लिये विधि द्वारा आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकें;

इसलिए निम्निलिखित रूप में यह अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्ष नाम और प्रारम्भ

1–(1) इस अधिनियम का नाम 1950 ई0 का उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम होगा।

(2) यह अधिनियम तुरन्त प्रचलित हो जायेगा।

व्याख्या

2–इस अधिनियम में "यह निधि" या "इस निधि" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उ0 प्र0 आकस्मिकता निधि (Uttar Pradesh contingency fund) से होगा।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि की स्थापना

3–इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर प्रदेश राज्य में उक्त राज्य के लिये उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (Uttar Pradesh contingency fund) नामक एक निधि स्थापित करे।

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये तारीख दिनांक 19 अप्रैल, 1950 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

[राज्य की संहत निधि से धनराशियों को निकाला जाना और उन्हें आकस्मिकता निधि में जमा करना] [2]

4–(1)[1] इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार के लिये यह आवश्यक होगा कि वह राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund) में से चार करोड़ रूपया निकाल कर इस निधि में जमा कर दे।

[(2) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि संशोधन अधिनियम, 1967 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार दो करोड़ रूपए की और धनराशि राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund) में से निकालेगी और उसे निधि में जमा कर देगी।]

[(3) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि संशोधन अधिनियम, 1970 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार 4 करोड़ रूपये की और धनराशि राज्य की संहत निधि में से निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी।][3]

[(4) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार दस करोड़ की और धनराशि राज्य की संहत निधि में से निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी।][4]

[(5) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार दस करोड़ रूपये की और धनराशि राज्य संहत निधि में से निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी।][5]

[(6) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1974 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार दस करोड की और धनराशि राज्य की संहत निधि में से निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी।][6]

[(7) राज्य सरकार संहत निधि से दिनांक 18 अगस्त, 1976 को 10 करोड़ रूपये की धनराशि निकालेगी और 4 अक्तूबर, 1976 को दस करोड़ रूपये की एक और धनराशि निकालेगी तथा उसे इस निधि में जमा कर देगी।][7]

[(8) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार चालीस करोड़ रूपये की और धनराशि राज्य की संचित निधि में से निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी।][8]

[(9) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि संशोधन अधिनियम, 1982 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार पचास करोड़ रूपये की और धनराशि राज्य की संचित निधि में से निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी।][9]

---

1. धारा 4 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया तथा इस प्रकार पुनः संख्याकिंत उपधारा (1) के पश्चात उपधारा (2), उ0प्र0 अधिनियम सं0 4, 1967 की धारा 2 (1) द्वारा बढ़ाई गई।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 38, 1976 की धारा 2 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1970 की धारा 2 (2) द्वारा बढ़ाई गई।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3, 1972 की धारा 2 (1) द्वारा बढ़ाई गयी।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 4, 1973 की धारा 2 (1) द्वारा बढ़ाई गयी।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3, 1974 की धारा 2 (1) द्वारा बढ़ाई गयी।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 38, 1976 की धारा 2 (1) द्वारा बढ़ाई गयी।
8. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 1980 की धारा 2 द्वारा बढ़ाई गई।
9. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1982 की धारा 2 द्वारा बढ़ाई गयी।

[(10) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार राज्य की संचित निधि से पचास करोड़ रूपये की और धनराशि निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी।][1]

[(11) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार राज्य की संचित निधि से दो सौ करोड़ रूपये की और धनराशि निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी।][2]

[(12) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1990 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार, राज्य की संचित निधि से दो सौ करोड़ रूपये की और धनराशि निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी।][3]

[(13) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1995 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार, राज्य की संचित निधि से चार सौ करोड़ रूपये की और धनराशि निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी।][4]

[5][(14) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के प्रारम्भ होने होने पर राज्य सरकार, राज्य की संचित निधि से छः सौ करोड़ रुपये की और धनराशि निकालेगी और उसे उक्त निधि में जमा कर देगी।]

प्रयोजन जिनके लिये उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि का उपयोग किया जा सकता है

5–यह निधि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (Governor) के अधिकार में दे दी जायेगी और वे उस समय तथा जब तक कि राज्य के अतिरिक्त व्यय (Unforseen Expenditure) विधिकृत विनियोग द्वारा (under appropriation made by law) राज्य के विधान मण्डल से प्राधिकृत (athorised) न हो जाय, ऐसे व्ययों की पूर्ति के निमित्त समय–समय पर अग्रिम (advance) के रूप में रुपया देने के अतिरिक्त, इस निधि को और किसी काम में न लायेंगे तथा उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये राज्यपाल द्वारा अग्रिम के रूप में जितना धन दिया गया होगा उतना ही धन ऐसी विधि के व्यापार में आने के तुरन्त बाद इस निधि में जमा कर दिया गया समझा जायेगा और इस निधि का अंग समझी जायेगी।

नियम बनाने का अधिकार

6–[(1)][5] राज्य सरकार को अधिकार होगा कि इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों को या उनमें से कुछ ही कार्यान्वित करने के लिये विज्ञप्ति द्वारा नियम बनाए।

[(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात, यथाशाक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक अनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और, जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के बाद दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।][6]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 1985 की धारा 2 द्वारा बढ़ाई गई।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1989 की धारा 2 द्वारा बढ़ाई गई।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1990 की धारा 2 द्वारा बढ़ाई गई।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1995 की धारा 2 द्वारा बढ़ाई गई।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1995 की धारा 2 द्वारा बढ़ाई गई।
6. धारा 6 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्याकित किया गया तथा उसके पश्चात उपधारा (2) उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 अधिनियम सं0 3, 1972 की धारा 3 द्वारा जोड़ी गयी।